5 रु. Rs.5 भारत INDIA FIVE RUPEES
5 रु. भारत पाँच रुपये
5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

85

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर बोर्ड (म.प्र.)

निगरानी–3604/2018/नीमच/भू.रा. पु.या.क /2018

विजयचंद पिता स्व. जगदीशचन्द्रजी गर्ग
आयु 50 वर्ष धंधा व्यापार,जाति अग्रवाल,
निवासी– 118, तिलक मार्ग, नयाबाजार,
नीमच जिला नीमच (म.प्र.) ——याचिकाकर्ता

विरूद्ध

दिनांक 23/5/18 को
केम्प ग्वालियर पर
अभि. श्री देवेन्द्र श्रीवास्तव
द्वारा प्रस्तुत।

प्रकाशचन्द्र पिता स्व. जगदीशचन्द्रजी गर्ग,
आयु 55 वर्ष धंधा– व्यापार, जाति अग्रवाल,
निवासी– 118, तिलक मार्ग, नयाबाजार,
नीमच जिला नीमच (म.प्र.) ——रेस्पोन्डेन्ट

पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं.1959

मान्यवर महोदय,

रेस्पोन्डेन्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय, नीमच (म.प्र.) के विद्वान अधिकारी के समक्ष अपील अन्तर्गत धारा 44 म.प्र.भू.रा.सं 1959 के तहत माननीय अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय, नीमच जिला नीमच के प्रकरण क 510/ए–6/2016–17 (विजयचन्द्र गर्ग पिता जगदीशचन्द गर्ग विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन) में पारित आदेश दिनांक 23.09.2017 के विरूद्ध अपील विलम्ब प्रस्तुत की गई थी जिसमें अपीलांट द्वारा आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 5 समयावधि विधान का प्रस्तुत किया गया था। उसके उपरांत उक्त आवेदन पर से बहस सुनने के पश्चात अधिनस्थ पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 03.05.2008 को विधि के विरूद्ध जाकर एक आलोच्य आदेश पारित किया जिससे असंतुष्ट होकर याचिकाकर्ता द्वारा यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की जा रही है।

3

प्रकरण के संक्षिप्त जानकारी

यह कि याचिकाकर्ता द्वारा अधिनस्थ अधिकारी तहसीलदार

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3604/2018/नीमच/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26.10.2018	आवेदक की ओर से, अधिवक्ता श्री संदीप मेहता उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 03.01.19 को कलेक्टर, जिला नीमच के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	